Result Mitra Daily Magazine

कॉलेजियम सिस्टम

❖ हालिया संदर्भ :

- सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (HC) कॉलेजियम को निर्देश दिया है कि वह उन 2 न्यायिक अधिकारियों के नाम पर पुनर्विचार करें, जिनकी 21 महीने पहले कॉलेजियम में पदोन्नति के लिये सिफारिश की थी।

❖ मामला :

- SC का ऐसा असामान्य निर्देश तब आया, जब प्रभावित व्यक्तियों यानि 2 न्यायिक अधिकारियों ने 2 अन्य नामों की पदोन्नति के लिये HC कॉलेजियम के फैसले के खिलाफ SC में चुनौती पेश किया।
- SC ने पूर्व में इस बात पर सख्त सीमाएँ निर्धारित की है कि वह कब न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबंधित HC के फैसलों की समीक्षा कर सकती है एवं कब उन्हें पुनर्विचार के लिये निर्देश दे सकती है।
- SC के न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय एवं पी.के. मिश्रा की बेंच ने फैसला किया कि मौजूदा मामला SC के समीक्षा-दायरे में आता है।

❖ कॉलेजियम प्रणाली और विकास के विभिन्न चरण :

➢ उत्पत्ति :

- यह न तो संवैधानिक प्रावधान है और न ही संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम से इसकी उत्पत्ति हुई है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गए विशिष्ट निर्णयों से उत्पन्न हुआ है।
- यह प्रणाली SC एवं HC में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया है।
- SC एवं HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्रमशः अनुच्छेद-124(2) एवं 217 में वर्णित है।

❖ प्रथम न्यायाधीश मामला :

- वर्ष 1981 में कार्यपालिका ने यह निर्धारित किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के 'परामर्श' को ठोस कारणों के आधार पर कार्यपालिका द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।
- इस नियम के फलस्वरूप 1993 तक न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका के निर्णय प्रभावी रहे।

❖ दूसरा न्यायाधीश मामला :

- 1993 में SC ने यह स्पष्ट किया कि CJI के 'परामर्श' का तात्पर्य 'सहमति' है और यहीं से कॉलेजियम प्रणाली की शुरूआत हुई।
- SC ने कहा कि ऐसा परामर्श CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगा, बल्कि SC के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामश्र से लिया गया एक संस्थागत राय होगा।
- इस फैसले ने SC कॉलेजियम की सिफारिशों को केन्द्र पर बाध्यकारी बना दिया। हालांकि सरकार चाहे तो नियुक्तियों में देरी कर सकती है, लेकिन कॉलेजियम के सिफारिशों को नकार नहीं सकती है।
- उपरोक्त फैसला SC के 9 न्यायाधीशों की बेंच ने एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन VS भारत संघ मामले में दिया था।

❖ तीसरा न्यायाधीश मामला :

- 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को SC ने कॉलेजियम प्रणाली के कार्यस्वरूप पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी एवं 5 सदस्यीय निकाय के रूप में इसका विस्तार किया।

❖ SC कॉलेजियम :

- इसकी अध्यक्षता CJI करते हैं तथा इसमें SC के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।

Result Mitra TM

- CJI और SC के अन्य जजों की नियुक्ति कॉलेजियम के सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- अगले CJI के नाम की सिफारिश निवर्तमान CJI करता है, हालांकि इसमें वरिष्ठतम जज को ही अगला CJI बनाए जाने की सिफारिश की जाती है।
- अन्य जजों के नियुक्ति का प्रस्ताव CJI द्वारा दिया जाता है एवं 4 अन्य सदस्यों द्वारा बारी-बारी से अपनी अनुशंसाएं दी जाती है।
- सभी 5 सदस्यों को अपनी राय लिखित रूप में दर्ज करनी होती है।
- तत्पश्चात इन सिफारिशों को कानून मंत्री के पास भेजा जाता है, जो इसे प्रधानमंत्री को देते हैं ताकि वे आगे राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिये सलाह दे सके।

❖ HC कॉलेजियम :

- इसमें संबंधित HC का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।
- HC के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये सिफारिश HC कॉलेजियम द्वारा की जाती है, लेकिन परंपरा अनुसार इस तथ्य का ध्यान रखा जाता है कि वह राज्य के बाहर का व्यक्ति हो।
- HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश CJI एवं 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा HC के मुख्य न्यायाधीश एवं 2 वरिष्ठ सदस्यों के राय के आधार पर की जाती है।
- सिफारिशों को राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा जाता है, जो राज्यपाल को सलाह देते हैं कि वे इन सिफारिशों को कानून मंत्री (केन्द्रीय) को भेजें।
- तत्पश्चात प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश किए गए नामों की नियुक्ति हेतु सलाह देता है।

❖ सिफारिश को चुनौती :

- 1998 में SC ने राष्ट्रपति को विस्तार से बताया कि किन आधारों पर कॉलेजियम द्वारा किए गए सिफारिशों को चुनौती दिया जा सकता है।
- यदि परामर्श लेते समय किसी व्यक्ति या संस्था की अवहेलना की गई हो या प्रभावी परामर्श का अभाव हो।
- यदि कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए व्यक्ति के पास न्यायाधीश के लिये उपयुक्त योग्यता न हो।
- ऐसी योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद-124 (SC) एवं अनुच्छेद-217 (HC) में है।
- अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का पूर्णतः पालन न किया गया हो।

Result Mitra